

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद  
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)  
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04/09/2019

क./कॉलेज/F-46/A190313 / /2019,

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए स्वशासी / शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को भोपाल जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2019-20 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।



क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	YOGA	DIPLOMA	50
02	NATUROPATHY	DIPLOMA	50
03	PHARMACY (HOMEOPATHY)	DIPLOMA	30

संस्थागत निर्देश :-

- संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम-विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2019 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
- संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।
- संस्था को उपरोक्त समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 तक अनिवार्य रूप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
- डिप्लोमा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उर्त्तीण अभ्यर्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उर्त्तीण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।

(2)

रिस्ट्रार पृ.क्र. 2 पर

Web site :- [www.mppmc.ac.in](http://www.mppmc.ac.in)Email :- [registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com](mailto:registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com)Services us :- <https://paramedical.mponline.gov.in>

0755-2775768

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद  
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)  
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)  
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

9. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यार्थियों से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था में कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सह-चिकित्सीय संस्था को सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन बाबत दी गई अनुज्ञा/मान्यता निरस्त मानी जाएगी।
10. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा संस्था में एक वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन नामांकन की व्यवस्था की गई है। अतः परिषद को निर्धारित तिथि तक प्रवेशित छात्रों की उपलब्ध कराई जाने वाली सूची अनुसार ही छात्रों के ऑनलाईन नामांकन किए जाएंगे। इस प्रकार संस्था द्वारा परिषद को अंतिम तिथि अर्थात् 10 दिसम्बर, 2018 तक प्रवेशित छात्रों की उपलब्ध कराई गई सूची ही अंतिम मानी जाकर आगामी कार्यवाही की जावेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन सम्बन्धी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. संस्था द्वारा संचालित / अनुमति प्राप्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की निरन्तरता नवीन पाठ्यक्रम बाबत संस्था का परिषद द्वारा निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क, ऑनलाईन जमा करना आवश्यक होगा। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद  
भोपाल, दिनांक 04/09/2019

पृष्ठांकन क्र./कॉलेज/F-46/A190313/2453/2019,

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा नवन, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला-भोपाल।
9. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
11. अधिष्ठाता, स्वशासी गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
12. प्रधानाचार्य, शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- भोपाल।
14. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला- भोपाल।
15. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला- भोपाल।
16. Director, National Information Center, M.P., State Center Vindhyachal Bhawan, Bhopal
17. आदेश फाईल।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

Web site :- [www.mppmc.ac.in](http://www.mppmc.ac.in)

Email :- [registrarmppparamedicalcouncil@gmail.com](mailto:registrarmppparamedicalcouncil@gmail.com)

Services us :- <https://paramedical.mponline.gov.in>

0755-2775768